

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 22/2020

ओमशंकर पुत्र पृथ्वीराज जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट०

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 03.03.2020

निर्णय दिनांक : 12.11.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामिलाली खाते की आराजी खाता संख्या 133 खसरा नं० 122 रकबा 0.92 है०, खसरा नं० 131 रकबा 0.99 है०, खसरा नं० 173 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 25 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 348 रकबा 1.52 है०, खसरा नं० 9 रकबा 0.02 है० कुल किता 6 कुल रकबा 3.75 है० वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र पृथ्या दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामकल्याण पुत्र बद्रीलाल है। जिसको वादी ओमप्रकाश पुत्र पृथ्या के स्थान पर ओमशंकर पुत्र पृथ्वीराज दुरुस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में ओमशंकर पुत्र पृथ्वीराज दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र पृथ्या के स्थान पर ओमशंकर पुत्र पृथ्वीराज दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र पृथ्या के स्थान पर ओमशंकर पुत्र पृथ्वीराज दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/05 दिनांक 03.01.2022 के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र पृथ्या एवं ओमशंकर पुत्र पृथ्वीराज दोनो नाम एक ही व्यक्ति के नाम है अन्य अलग-अलग नहीं है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र पृथ्या के स्थान पर ओमशंकर पुत्र पृथ्वीराज सा० देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों तथा बयान गवाह वादी स्वयं एवं रामचरण पुत्र पृथ्वीराज जाति मीना निवासी श्यामपुरा के आधार पर आराजी खाता संख्या 133 खसरा नं० 122 रकबा 0.92 है०, खसरा नं० 131 रकबा 0.99 है०, खसरा नं० 173 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 25 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 348 रकबा 1.52 है०, खसरा नं० 9 रकबा 0.02 है० कुल किता 6 कुल रकबा 3.75 है० वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र पृथ्या के स्थान पर ओमप्रकाश उर्फ ओमशंकर पुत्र पृथ्वीराज दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, एवं इसके साथ-साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)  
उपखण्ड अधिकारी  
मांगरोल